

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/203/2012

दर्ज दिनांक:-02.07.2012

1. मालादेवी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजू उर्फ राजकुमार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया माला देवी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 829/0.35 है0 स्थित ग्राम पिडियानी के 1/16 का 800/132 अपना समस्त हिस्सा रीना देवी पत्नि देवेन्द्र कुमार को वयनामा सं. 20120085600 दिनांक 26.11.2012 से व रीना देवी द्वारा इस समस्त आराजी को कुसुम शर्मा पत्नि राजकुमार को जरिये वयनामा सं. 201400353 दिनांक 21.11.2014 से विक्रय कर दिया है। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एलआर/17/1400 दिनांक 20.04.2017 के अनुसार भी वादिया के नाम हाल जमाबंदीमें अंकित नहीं है। जहां वादिया वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार दर्ज अभिलेख नहीं है। वहां वह वाद ग्रस्त आराजी के विभाजन की अधिकारी नहीं है। दावा वादिया स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर